FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0064 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/03/2026 13:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/01/2018 **Date To (दिनांक तक):** 05/03/2018

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 17:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/03/2026 13:43:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 245 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYALAY GRAM PANCHAYAT, BARAN, PANCHAYAT SAMITI BANERA, JILA BHILWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** parasmal panwar

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 02/05/1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	sargaro ka bas, raypur pali, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	sargaro ka bas, raypur pali, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAGWATILAL TAILOR AND OTHERS LABHARTHIGAN		पिता:KANWAR LAL TAILOR	1. MANDAL,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,88,056.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,88,056.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि परिवादी श्री सुरजमल बलाई पुत्र श्री घीसु बलाई उम्र व्यस्क निवासी नया रायसिंहपुरा (बरण) पंचायत समिति बनेडा जिला भीलवाडा नें एसीबी में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत बरण के सरपंच, सचिव एवं वार्डपंचों ने आपसी मिलीभगत कर ग्राम पंचायत बरण के नाम राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि आबादी में दर्ज हैं। जिसके खसरा संख्या 1756/933, 1765/1714, 1766/933, 1767/1723, 1768/933, 1791/933 कुल रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित हैं। करोडो रूपये की जमीन को अपने चहेते व मिलने वाले व्यक्तियों के नाम पर अवैध पट्टों के जरिये खुर्द बुर्द कर दी पंचायतीराज अधिनियम 141 की अवमानना कर भ्रष्ट तरीके से विधि विरूद्ध रियायती दर/निःशुल्क 53 पट्टे जारी करने में भारी भ्रष्टाचार व अनियमितताएं की गई एवं पद का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाई हैं। उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जावे। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (परि.), भ्र.नि.ब्यूरो, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 20755-56 दिनांक 27.11.2018 से परिवाद संख्या 563/18 विरूद्ध श्रीमती बुद्धु कुमारी जाट, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बरन व अन्य के विरूद्ध दर्ज होकर जांच हेतु कार्यालय पर प्राप्त हुआ। परिवाद का सत्यापन किया गया दौराने सत्यापन परिवाद में अंकित आरोपों से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किया जांच कमेटी गठित करवा जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जांच रिपोर्ट एवं सत्यापन रिपोर्ट से पाया गया कि 1. श्रीमती बुद्धु कुमारी जाट सरपंच 2. भगवती लाल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत बरण 3. श्री रामलाल भील वार्डपंच 4. श्री जगदीश नाथ वार्डपंच 5. श्रीमति मन्नु वार्डपंच ने आपसी मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग कर अधिकार क्षेत्र से परे जाकर लाभार्थियो से अनुचित लाभ प्राप्त कर पट्टे जारी कर पद का दुरूपयोग कर राजकोष को 12,88,056 रूपये की हानि पहुंचाना पाया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर / निःशुल्क पट्टे जारी करने के सरकार द्वारा नियम निर्धारित कर रखें है। सरपंच, सचिव व वार्ड पंचो ने मिलकर ग्राम पंचायत बरण की आबादी भूमि एवं चारागाह की बेशकिमती भूमि व गेरमुमकीन रास्ता आराजी नम्बर 1756/933, 1765/1714, 1766/933, 1767/1723, 1768/933, 1791/933 में रियायती दर / निःशुल्क 54 लाभार्थीगणों के नाम पट्टे जारी किये जो नियम विरूद्ध हैं। उक्त 54 पट्टों के मौका निरीक्षण कमेटी के सदस्यों (वार्ड पंचो) ने अपने बयान स्पष्टीकरण में बताया कि उक्त पट्टों की मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया एवं उक्त पट्टों का मौका सरपंच एवं सचिव के साथ मौके पर जाकर देखा गया मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर हमारे हस्ताक्षर हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 161(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 150 फिट की दूरी तक ग्राम पंचायत किसी प्रकार के पट्टे जारी नहीं कर सकती हैं, परन्तु ग्राम पंचायत बरण के सरपंच बुद्धु कुमारी जाट व सचिव श्री भगवती लाल द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा में श्री भगवत लाल गाडरी, श्री शिवराज जाट, श्रीमति पप्पूडी देवी जाट, श्री मांगी लाल गाडरी, श्री भगवती लाल गाडरी, श्री सूरजमल लुहार, श्री भैरू लाल गाडरी, श्री भागुराम गाडरी, श्री कालू गुर्जर, श्री धीरज विरेन्द्र राठौड, श्री बालूराम जाट, श्री माणकचंद रेबारी को रियायती दर पर कुल 12 पट्टे जारी किये गये उक्त पट्टेधारकों के पट्टे आबादी भूमि में स्थित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 140 फिट की दूरी पर हैं, जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 161(2)(ख) के विरूद्ध हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के तहत चारागाह भूमि व आम रास्ता में ग्राम पंचायत किसी को पट्टे जारी नही कर सकती हैं परन्तु ग्राम पंचायत बरण के सचिव भगवती लाल व सरपंच बुद्धु कुमारी द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा के आबादी भूमि के क्षैत्र से परे जाकर चारागाह आराजी नम्बर 933, 1723 व गैर मुमकीन रास्ता आराजी नम्बर 1714 में चारागाह की बेशकिमती भूमि व आम रास्ता पर सुखदेव गुर्जर, धनराज जाट, किशन गाडरी, शम्भू गुर्जर, महावीर माली, प्रभू लाल माली, महेन्द्र सिंह, रामभंवर सिंह, सोनू सेन, कल्याण जाट, सूरजमल गुर्जर, भैरू लाल सिंह, श्रीमति पुष्पा सेन, प्रभूलाल गुर्जर, तेजमल गाडरी, श्रीमति रूकमा कंवर, श्री सूरजमल गुर्जर, विजय लक्ष्मी शर्मा, राजू गुर्जर, छोटू लाल गुर्जर, भैरू लाल गाडरी, देवा गाडरी, भगवान गाडरी, नाथू दरोगा, उदयराम गाडरी, मगनीराम गाडरी, देबी लाल लुहार, शंकर लाल गुर्जर, धन्ना नाथ, रामलाल भील, निर्मल वैष्णव, श्रीमति जेतू गाडरी, देबी लाल भील उक्त लाभार्थीगणों के नाम रियायती दर/निः शुल्क कुल 33 पट्टे जारी किये गये, जो पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 158 के विरूद्ध है। ग्राम रायसिंहपुरा की भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज थी उक्त भूमि ग्राम बरण के आबादी भूमि में दर्ज रिकॉर्ड नामान्तरण संख्या 1485 दिनांक 10.06.17 को हुई थी। ग्राम पंचायत बरण द्वारा रियायती दर के पट्टे श्री भैरू लाल जाट, रामेश्वर जाट/रामचन्द्र

जाट, रामेश्वर जाट/छोगा जाट, देबीलाल जाट, दिनेश शर्मा, कन्हैया लाल गाडरी, गोपाल गुर्जर, मंजू देवी शर्मा, शिवलाल गाडरी के नाम कुल 09 पट्टे रियायती दर पर ग्राम पंचायत बरण द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा में जारी किये गये। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्ग के सदस्यों को एवं गावं के कारीगरो को श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, विकलांगो, गाडिया लुहारों जिनके पास स्वयं का मकान / गृह स्थल नहीं है एवं ऐसे बाढग्रस्तों को जिनके गृह बह गये हैं जिनकों ग्राम पंचायत रियायती दर पर नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये जाते हैं। ग्राम पंचायत बरण के सरपंच व सचिव ने आपसी मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्ग के सदस्यों को एवं गावं के कारीगरो को श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, विकलांगो, गाडिया लुहारों जिनके पास स्वयं का मकान/गृह स्थल नहीं है एवं ऐसे बाढग्रस्तों जिनके गृह बह गये हैं उन व्यक्ति◌ायों को रियायती दर के पट्टे जारी नहीं कर अपने हितबद्ध व्यक्तियों के नाम रियायती दर के पट्टे जारी किये जो व्यक्ति उक्त भूमि के पात्र नही थे उनके नाम पर भ्रष्ट तरीके से विधी विरूद्ध पट्टे जारी कर ग्राम रायसिंहपुरा के 09 पट्टे रियायती दर पर जारी कर सरपंच एवं सचिव ने अपने अपने पद का दुरूपयोग करना पाया गया है। उक्त लाभार्थीगण निवासीयान ग्राम पंचायत बरण एवं सरपंच व सचिव द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा की आबादी भूमि एवं चारागाह की बेशकिमती भूमि एवं गेरमुमकीन रास्ता आराजी नम्बर 1756/933, 1765/1714, 1766/933, 1767/1723, 1768/933, 1791/933 में रियायती दर / निःशुल्क 54 पट्टे धारकों ने आपसी मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग कर लाभार्थियों से अनुचित लाभ प्राप्त कर राजकोष को 12,88,056 रूपये की हानि पहुंचाई जाने से उपरोक्त आरोपीगण श्रीमती बुद्धु कुमारी जाट, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बरन व श्री भगवतीलाल टेलर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरन व लाभार्थीगण के विरूद्ध धारा 13(1)(C)(D),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित पाया जाने से कार्यालय के पत्रांक 947-48 दिनांक 10.08.2020 से पूरक सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (परि.), भ्र.नि. ब्यूरो, राज. जयपुर के पत्रांक 19716-18 दिनांक 24.12.2025 से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने का निर्णय मय आरोपी श्री भगवतीलाल तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध 17 A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत पुर्वानुमोदन के प्राप्त हुआ है। अतः आरोपी श्री भगवतीलाल टेलर पुत्र श्री कॅवर लाल टेलर निवासी माण्डल जिला भीलवाडा, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरन हाल सेवानिवृत व अन्य लाभार्थीगण के विरूद्ध धारा 13(1)(C)(D),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(C)(D),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. में आरोपी श्री भगवतीलाल टेलर पुत्र श्री कॅवर लाल टेलर निवासी माण्डल जिला भीलवाडा, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरन हाल सेवानिवृत व अन्य लाभार्थीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पाना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 502 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 455-58 दिनांक 06.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/03/2026 13:45:20

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1961				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)